महत्वपूर्ण

संख्या - 03/2018/46/38-10-2018-24/17टीसीI

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
एटा, झांसी, इलाहाबाद, बलिया, बहराइच, बरेली, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बदायूं, बुलन्दशहर, कानपुर देहात, कुशीनगर, कन्नौज, महाराजगंज, मीरजापुर, मेरठ, मैनपुरी, फिरोजाबाद, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, भदौही, पीलीभीत, प्रतापगढ, रायबरेली, श्रावस्ती, संतकबीनगर, संभल, सहारनपुर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, देवरिया, वाराणसी, चंदौली, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, फैजाबाद, जौनपुर, जालौन, अम्बेडकरनगर, अमरोहा, अमेठी, आजमगढ़, आगरा, अलीगढ, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, गाजीपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, शामली एवं शाहजहांपुर,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक : 10 अप्रैल,2018

विषय : मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों का चयन।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या : 01/2018/13/38-10-2018-24/17 दिनांक 22 जनवरी, 2018 एवं 02/2018/13/38-10-2018-24/17 दिनांक 13 फरवरी, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार जनपद के ग्रामों का सर्वे/ चिन्हांकन कराते हुए चिन्हित ग्रामों की सूची आयुक्त, ग्राम्य विकास के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायी गई है।

2- इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत प्रश्नगत योजनान्तर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के 914 राजस्व ग्रामों को चिन्हांकित कार्यक्रमों से संतृप्त कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

अतएव योजनान्तर्गत् चयनित 914 राजस्व ग्रामों में से आपके जनपद के राजस्व ग्रामों की सूची संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 22 जनवरी, 2018 में दिए गए निर्देशानुसार चयनित राजस्व ग्रामों (मजरे/पुरवे/टोले-बसावटों सहित) को योजनान्तर्गत चिन्हित कार्यक्रमों की कार्ययोजना तैयार कराते हुए प्राथमिकता के आधार पर संतृप्त कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या- 03/2018/46(1)/38-10-2018-24/17 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण, ऊर्जा, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, महिला कल्याण, समाज कल्याण, व्यवसायिक शिक्षा, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वन, खाद्य एवं रसद, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, दुग्ध विकास, कृषि व संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त संबंधित परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डा0 हरिश्चन्द्र
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।